

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आदेश सं.- 8/ज.सं.(नि.)विविध-15-04/2014 (खण्ड):- /राँची, दिनांक:-

आदेश

श्री योगेन्द्र शर्मा (आई. डी.- 3332) सहायक अभियंता, की सेवा नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए विभागीय अधिसूचना सं. 7776 दिनांक 21.12.13 द्वारा कदवन बॉध अवर प्रमण्डल- 2 नगर उटारी में पदस्थित किया गया था। श्री शर्मा द्वारा सरकारी/स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन ससमय नहीं किये जाने के कारण विभागीय पत्रांक 2711 दिनांक 27.03.14 द्वारा कारण पृच्छा की गई।

2. श्री शर्मा से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई सम्यक समीक्षापरान्त श्री शर्मा को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया :-

(1) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

3. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

अतएव एतद द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक:- 1749

/

राँची, दिनांक:- 15-4-15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ संयुक्त सचिव (प्र.) जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, कदवन बॉध प्रमण्डल नगर उटारी/श्री योगेन्द्र शर्मा, सहायक अभियंता, कदवन बॉध अवर प्रमण्डल सं.- 2 नगर उटारी/ विभागीय वेब मैनेजर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


13.4.15

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव।

13.4.15